Auction Notice No. DGCA-28011/1/2017-MT



Government of India Ministry of Civil Aviation Directorate General of Civil Aviation

Opp. Safdarjung Airport, New Delhi

Date: 22/08/2019

AUCTION NOTICE FOR DISPOSAL OF OBSOLETE STAFF CAR FOR SCRAP PURPOSE ONLY

Ministry of Civil Aviation, office of Directorate General of Civil Aviation proposes to dispose of an obsolete/condemned staff car for scrap purpose only. The details of condemned staff car are as under:-

SI. No.	Vehicle Regn. No.	Make, chassis No. & Engine No.	Year of Mfg.	Mfg co.	Reserved Price
1.	DL 3CY 6513	Ambassador, ADC- 864786, 3EL CC- 077171	2003	Ambassador	Rs.18,000/-

- 2. Accordingly, sealed quotations are invited on "As is where is basis" for the disposal of the above mentioned staff car as per general terms and conditions of this auction notice. Interested vendors/individuals in purchasing the same for scrap purposes may submit their quotation in the enclosed proforma.
- 3. The above said staff car is located at DGCA (Hqrs), Opp Safdarjung Airport, Aurobindo Marg, New Delhi-110 003. Interested parties are requested to inspect the above said car at DGCA (Hq.), Details of inspection, contact person, quotation acceptance are as given below:-
 - I. Date and time for inspection of vehicle: 26.08.2019 & 27.08.2019 (For 2 days 11AM to 4 PM).
- II. Contact Person: Shri Shamsher Singh, MTO
- III. Date and time for opening of quotations: 06.09.2019
- IV. Auction Notice is published on Directorate General of Civil Aviation website at http://www.dgca.nic.in (Tenders Section).
- V. An EMD of Rs.900/- (Rupees nine hundred only) should be deposited along with the quotation in the form of an account payee Bank draft from a Scheduled Commercial Bank in favour of Pay & Accounts Officer, DGCA, Ministry of Civil Aviation payable at New Delhi.
- VI. The bidders or their representatives, if desire (not more than one) may be present at the time of opening of bids.
- VII. Reserved price fixed as Rs.18,000/- for the above said staff car.
- VIII. The quotations below the reserved price will not be entertained and liable to be rejected.

(Suman Velayudhan) Deputy Director Administrative

General Terms and Conditions:

- 1. The bidders may inspect the staff car on predetermined dates and satisfy themselves about the staff car they are bidding for.
- 2. The staff car shall be sold to the highest bidder but DGCA is not bound to follow this in any situation whatsoever.
- 3. The Earnest Money Deposit of the successful bidder shall be adjusted in the bid forthwith. The EMD of unsuccessful bidders shall be returned within one month from the auction date and shall carry no interest.
- 4. No staff car, once disposed to the successful bidder, shall be taken back by O/o Directorate General of Civil Aviation, in any condition, whatsoever.
- 5. The successful bidder has to make full balance payment in the form of Demand Draft in favour of Pay & Accounts Officer, DGCA, Ministry of Civil Aviation payable at New Delhi within 5 working days of the receipt of the communication to this effect from this office, failing which the offer will be cancelled and EMD shall stand forfeited.
- 6. The successful bidder will have to take delivery of the vehicle within five working days of acceptance of this bid after making the payment of the quoted amount (EMD amount will be adjusted with the quoted value) and submission of affidavit as mentioned in para-8 below, failing which the successfully bidder will forfeit his claim over the vehicle and process will be initiated for handling over the vehicle to the second highest bidder or cancellation of the bid process, as decided by competent authority in DGCA. In both the events earnest money will be forfeited without any notice in this regard.
- 7. Reserved Price fixed as Rs.18,000/- for the above said vehicle.
- 8. The successful bidder, before taking possession of the subject Vehicle, shall have to submit an affidavit duly executed by him and attested by First Class Magistrate in respect of scrapping of subject vehicle so purchased through Auction and a letter will be sent to the concerned Transport Authority to cancel the registration of the said vehicle.
- 9. The successful bidder will remove the sold vehicle within five working days of depositing the money and submission of affidavit as mentioned in para-8 above at his or her own expenses. Thereafter, this Office will not be responsible for the safety of the vehicle.
- 10. The vehicle will be disposed of on "as is where is basis" and no guarantee of its worthiness or quality will be given by O/o DGCA.
- 11. The purchaser will be responsible for future legal matters whatsoever, pertaining to the vehicle after taking delivery.
- 12. The bidder will not be allowed to withdraw their bids, under any circumstances; otherwise, their Earnest Money will be forfeited.

- 13. DGCA reserve the right to accept or reject any/all of the quotation without assigning any reason whatsoever.
- 14. The quotation should be dropped in the Quotation Box in O/o DGCA, Opp. Safdarjung Airport, New Delhi, placed at DGCA, Reception by 05.09.2019 upto 2.30 PM.
- 15. The financial Bid should be quoted both in figure and words along with taxes, if any applicable. Any overwriting or erasing in figures shall not be considered for acceptance of the rates offered by the tenderer. Taxes if any shall be borne by the tenderer.
- 16. Each page of tender document should be signed by the bidder (s).
- 17. Incomplete and unsigned quotations are liable to be rejected.
- 18. An Earnest Money Deposit (EMD) of Rs.900/- (Rupees nine hundred only) must be accompanied by each quotation without which the bids shall be summarily rejected. No Cheque/Money order/Cash shall be accepted for EMD.
- 19. The quotation below the reserved price will not be entertained and liable to be rejected.

20. Quotation Form should be attached with this Notice as Annexure-I.

(Suman Velayudhan) Deputy Director Administrative

PROFORMA FOR OFFERING RATES FOR DISPOSAL OF CONDEMNED VEHICLES FOR SCRAP PURPOSE ONLY.

Amount of Earnest Money	Rs. (In figures)
1873203543	Rs. (In words)
Particulars of EMD Demand Draft	No
and the second second second	Date :
A THE STREET OF SHIP MEN AND STREET WAS A SHIP OF SHIP SHIP OF SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP	Name of Bank :
er er i 180 da 185 jilliyan, berlin barne es i	Branch :
Name of the Bidder	
(In capital letter)	67 The inferit of house management is
Permanent Address*	
Telephone Number/Mobile No.	

*(Address should be completed and supported with proof (attested copies of Aadhar Card/Voter Identity Card/Passport). The bidder should always be available for receiving communications at the given address. Documentary proof of permanent address should be enclosed in the form of latest Electricity/Telephone Bill.

I/we have inspected the obsolete vehicle and am/are interested to purchase the same on "As is where is basis" and submit my/our highest quotation for the following vehicle offered for sale for scrap purpose only by O/o DGCA, New Delhi :-

SI.	Vehicle		Year of	Mfg Co.	Reserved	Price for Vehicle (Rs.)	
No.	Registration Number	No. & Engine No.	Mfg.		Price	In Figure	In Word
1.	DL 3CY 6513	Ambassador, ADC-864786, 3EL CC-077171	2003	Ambassador	Rs.18,000/-		

- 2. I/we have gone through the terms and conditions given in the auction notice particularly regarding Earnest Money Deposit, and agree to abide by these in letter and spirit. I/we understand that in the event of non-compliance of the terms and condition of the auction notice my/our EMD shall be forfeited by O/o Directorate General of Civil Aviation, on any dispute arising out of the offer shall be binding on me/us.
- 3. I/we agree to the forfeiture of the earnest money deposit if I/we fail to comply with all or any of the terms and conditions in whole or in part as laid down in this Auction Notice No. DGCA-28011/1/2017-MT dated 22.08.2019 which would constitute and have force of a contract between me/us and O/o Directorate General of Civil Aviation, If I/we am/are declared a successful bidder.

	(Signature of the Vendor)
Name :	

To

Smt. Suman Velayudhan
Deputy Director Administration
O/o DGCA
Opp Safdarjung Airport,
Aurobindo Marg,
New Delhi-110 003.

Juman

नीलामी सूचना सं.डीजीसीए-28011/1/2017-एमटी



नागर विमानन मंत्रालय नागर विमानन महानिदेशालय

सफदरजंग एयरपोर्ट के सामने, नई दिल्ली-110003 दिनांक:22/08/2019

अप्रयोज्य स्टाफ कार का केवल रद्दी के रूप में निपटान के लिए नीलामी नोटिस

नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा केवल रद्दी के प्रयोजन से एक अप्रोज्य/कंडम स्टाफ कार का निपटान करने का प्रस्ताव है। उक्त कार का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वाहन पंजीकरण सं.	मेक, चेसिस सं. तथा ईंजन सं.	निर्माण का वर्ष	निर्माता कंपनी	आरक्षित मृल्य
1.	डीएल 3सीवाई 6513	एम्बेस्डर, एडीसी-864786, 3ईएल सीसी-077171	2003	एम्बेस्डर	h. 18,000/-

- तद्नुसार ऊपर उल्लिखित स्टाफ कार का इस नीलामी नोटिस के सामान्य निबंधनो और शर्तों के अनुसार "जहां है जैसा है" आधार पर सीलबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। रद्दी के रूप में इसे खरीदने के इच्छुक विक्रेता/व्यक्ति संलग्न प्रपत्र में अपने कोटेशन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- उक्त स्टाफ कार डीजीसीए (मुख्यालय), सफदरजंग हवाई अड्डे के सामने, अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली-110003 में रखी है। इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे डीजीसीए (मुख्यालय) आकर उक्त कार का निरीक्षण कर लें। निरीक्षण, व्यक्ति जिससे संपर्क किया जाए तथा कोटेशन स्वीकृति के विवरण नीचे दिए गए हैं:-
 - वाहन के निरीक्षण की तारीख और समयः 26-27/08/19(2 दिनों के लिए प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक) व्यक्ति जिससे संपर्क करना है: अने अप्राप्त किलेशन खुलने की तारीख और समयः 06:09:19
- 111.
- नीलामी नोटिस नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट http:/www.dgca.nic.in (टेंडर अनुभाग) में प्रकाशित IV. किया गया है।
- कोटेशन के साथ भुगतान और लेखा अधिकारी, डीजीसीए, नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में देय ٧. किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट के रूप में 5000/-रू (पांच हजार रूपए केवल) की ईएमडी जमा की जानी है।
- यदि चाहें तो, बोली खोलने के समय बोलीकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि (एक से अधिक नहीं) उपस्थित रह सकते VI.
- उपर्युक्त स्टाफ कार के लिए आरक्षित मूल्य दि 10,000/ रू निर्धारित है। VII.
- आरक्षित कीमत से कम के कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे निरस्त कर दिया जाएगा। VIII.

सामान्य नियम और शर्तैः

- 1. बोलीकर्ता पूर्व निर्धारित तारीखों को स्टाफ कार का मुआयना करके स्टाफ कार के बारे में अपनी तसल्ली कर सकते हैं।
- 2. स्टाफ कार सबसे ऊँची बोली बोलने वाले को बेची जाएगी परंतु डीजीसीए किसी अन्य परिस्थिति में इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है।
- 3. जमा की गई बयाना राशि को सफल बोलने वाले की बोली में तत्काल समायोजित कर लिया जाएगा। असफल बोलीकर्ताओं की ईएमडी नीलामी की तारीख से एक महीने के अंदर उन्हें वापस कर दी जाएगी और इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 4. किसी भी परिस्थिति में, सफल बोलीकर्ता को निपटान की गई स्टाफ कार नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा वापस नहीं ली जाएगी।
- 5. सफल बोलीकर्ता को इस कार्यालय द्वारा सूचना प्राप्ति होने के 5 कार्य दिवसों के अंदर समस्त बकाया राशि का भुगतान और लेखा अधिकारी, डीजीसीए, नागर विमानन मंत्रालय के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में करना होगा। ऐसा न कर पाने पर प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा तथा उनकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
- 6. सफल बोली लगाने वाले को कोट की गई धनराशि (कोट की गई कीमत में ईएमडी राशि समायोजित की जाएगी) जमा करने और नीचे पैरा-8 में उल्लिखित के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात बोली के स्वीकार किए जाने के पांच कार्य दिवसों के अंदर वाहन की सुपुर्दगी लेनी होगी। ऐसा न कर पाने पर वाहन पर सफल बोलीकर्ता का दावा समाप्त हो जाएगा और द्वितीय उच्चतम बोलीकर्ता को वाहन सौंपने संबंधी अथवा बोली प्रक्रिया को निरस्त करने संबंधी कार्यवाही, जिसका भी डीजीसीए में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाए, आरंभ कर दी जाएगी। इन दोनों ही मामलों में बयाना राशि को इस बारे में कोई नोटिस दिए बिना जब्त कर लिया जाएगा।
- 7. उपर्युक्त स्टाफ कार के लिए आरक्षित मूल्य <u>दि 10,000</u>र निर्धारित है।
- 8. उक्त वाहन पर कब्जा लेने से पहले सफल बोलीकर्ता को, नीलामी के द्वारा खरीदे गए वाहन के रद्दीकरण के संबंध में स्वयं द्वारा निष्पादित शपथ पत्र जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया गया हो, जमा करना होगा और उक्त वाहन का पंजीकरण रद्द करने के लिए संबंधित परिवहन प्राधिकारी को पत्र भैजना होगा।
- 9. जैसा कि ऊपर पैरा-8 में उल्लिखित है, सफल बोलीकर्ता को धनराशि और शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद पांच कार्य दिवसों में विक्रय किए गए वाहन को डीजीसीए परिसर से हटाना होगा। इसके पश्चात वाहन की सुरक्षा की किसी प्रकार की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
- 10. वाहन का निपटान "जैसा है जहां है" के आधार पर किया जाएगा और इसकी नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा इसकी उपयुक्तता अथवा गुणवता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाएगी।
- 11. वाहन की सुपुर्दगी के बाद भविष्य में वाहन से संबंधित किसी भी कानूनी मामले के लिए क्रेता जिम्मेदार होगा।
- 12. बोली लगाने वालों को किसी भी परिस्थिति में अपनी बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी अन्यथा उनकी बयाना राशि जब्त की जाएगी।

- 13. किसी भी/सभी कोटेशनों को बिना कोई कारण बताएं स्वीकार/अस्वीकार करने का डीजीसीए का अधिकार सुरक्षित है।
- 14. कोटेशनें डीजीसीए कार्यालय, सफदरजंग हवाई अड्डा के सामने, नई दिल्ली के स्वागत कक्ष में रखे कोटेशन बॉक्स में दिनांक १.५.१८३।१.९... को दोपहर 2.30 बजे तक डाली जाएंगी।
- 15. वित्त बोली, करों सिहत, यदि लागू हो, अंको एवं शब्दों दोनों में कोट की जानी चाहिए। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित की गई दरों में कोई ओवरराइटिंग या आंकडों को मिटाने की स्थिति में इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। कर, यदि कोई हों, का वहन निविदाकर्ता द्वारा किया जाएगा।
- 16. बोलीकर्ता (ओं) द्वारा टेंडर दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।
- 17. अध्रे और हस्ताक्षर-रहित कोटेशनों को रद्द कर दिया जाएगा।
- 18. प्रत्येक कोटेशन के साथ 5000/-रू (रू पांच हजार केवल) की धनराशि ईएमडी (बयाना धनराशि जमा) के रूप में दी जाएगी। इसके बिना कोटेशन को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा। ईएमडी चैक/मनी आर्डर/नकदी के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 19. आरक्षित मूल्य से कम कीमत की कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे अस्वीकर कर दिया जाएगा।
- 20. कोटेशन के साथ इस नोटिस के साथ संलग्न अनुलग्नक-। लगा होना चाहिए।

(सुमन वेलायुधन) उपनिदेशक, प्रशासन

केवल रद्दी के प्रयोजन के लिए कंडम वाहनों को निपटाने के लिए दरों के प्रस्ताव का प्रपत्र

बयाना धन राशि	
ववाणा वण सारा	रू (अंकों में)
	रू (शब्दों में)
ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट का विवरण	
44.121 124.112 \$14C AU Idd(0)	सं:
	तारीखः
	बैंक का नामः
	शाखाः
बोलीकर्ता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
,	
स्थायी पता*	
दूरभाष/मोबाइल सं.	
"	

*पता पूरा होना चाहिए और प्रमाण के (आधार कार्ड/मतदाता पहचान-पत्र/पासपोर्ट की सत्यापित प्रतियां) साथ होना चाहिए। बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त करने के लिए दिए गए पते पर हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। बिजली/टेलीफोन के नवीनतम बिलों के रूप में स्थायी पते के दस्तावेजी प्रमाण संलग्न होने चाहिए।

मैंने/हमने पुराने वाहन को देख लिया है और मैं/हम उसे "जैसा है जहां है" के रूप में खरीदने के इच्छुक हूँ/हैं और डीजीसीए कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा केवल स्क्रैप के प्रयोजन से विक्रय के लिए प्रस्तुत उक्त वाहन के लिए अपना/हमारा अधिकतम कोटेशन प्रस्तुत करना हूँ/करते हैं:-

क्र.	वाहन पंजीकरण	मेक, चेसिस सं.	निर्माण	निर्माता	आरक्षित	वाहन की कीम	त (रू.)
सं.	सं.	तथा ईंजन सं.	का वर्ष	कंपनी	मूल्य	रू (अंकों में)	
1.	डीएल 3सीवाई 6513	एम्बेस्डर, एडीसी- 864786, 3ईएल सीसी-077171	2003	एम्बेस्डर	Rs. 12,000).		

- 2. मैने/हमने नीलामी नोटिस में दिए गए निबंधनों और शर्तों, विशेषरूप से बयाना धनराशि जमा के बारे में पढ़ लिया है और मैं इनसे अक्षरशः सहमत हूँ। मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि नीलामी नोटिस के निबंधनों और शर्तों का पालन नहीं करने पर मेरी/हमारी ईएमडी नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
- 3. यदि मैं सभी या किसी भी निबंधन और शर्तों का पूरी तरह से या आंशिक रूप से पालन करने में विफल रहता हूँ/रहते हैं जैसा कि इस नीलामी नोटिस संख्या डीजीसीए ए-28011/1/2017-एमटी दिनांक...2.2/00... 13... में निर्धारित किया गया है तो मैं/हम बयाना जमा राशि की जब्ती के लिए सहमत हूँ/हैं और यदि मैं/हम सफल बोलीकर्ता घोषित किया जाता हूँ/किए जाते हैं तो यह मेरे/हमारे और नागर विमानन महानिदेशालय के बीच एक अनुबंध होगा और बाध्यकारी होगा।

	(खरीदार	के	हस्ताक्षर)
नामः			

सेवा में,

श्रीमती सुमन वेलायुधन उपनिदेशक, प्रशासन कार्यालय नागर विमानन महानिदेशालय सफदरजंग हवाई अड्डे के सामने अरबिंदो मार्ग नई दिल्ली-110003

mwav.